न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, निम्बाहेड़ा जिला चित्तौडगढ़
पीठासीन अधिकारीः- पंकज शर्मा, RAS

प्रकरण सं. 174/2019 वाद

कैलाश पिता सोहनलाल ब्राह्मण, आयु वयस्क, निवासी भावलिया, तहसील निम्बाहेड़ा जिला चित्तौडगढ़।

– वादीगण

//बनाम//

1. सोहनलाल पिता डमरलाल ब्राह्मण, आयु वयस्क, निवासी भावलिया।
2. मुन्ना बाई पिता सोहनलाल ब्राह्मण, आयु वयस्क, निवासी भावलिया।
3. गीता बेवा ओम प्रकाश ब्राह्मण, आयु वयस्क, निवासी भावलिया।
4. दिनेश पिता ओमप्रकाश ब्राह्मण, आयु वयस्क, निवासी भावलिया।
5. डिम्पल पिता ओमप्रकाश ब्राह्मण, आयु वयस्क, निवासी भावलिया।
6. अन्नु पिता ओमप्रकाश ब्राह्मण, आयु वयस्क, निवासी भावलिया।
7. उप पंजीयक, निम्बाहेड़ा जिला चित्तौडगढ़।
8. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, निम्बाहेड़ा।

– प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, 188, 209 रा0का0अधि0
श्री जगदीश मेनारिया, अधिवक्ता वादी उपस्थित
श्री योगेन्द्र सोलंकी, अधिवक्ता प्रतिवादीगण, उपस्थित

निर्णय दिनांक 25.11.2019

संक्षिप्त विवरण मामला इस प्रकार है कि वादी ने एक दावा अन्तर्गत धारा 88, 188, 209 रा0का0अधि0 का प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 5 के संयुक्त स्वामित्व, आधिपत्य व कब्जे काश्त की पुश्तैनी पैतृक आराजी वाके मौजा भावलिया की खाता संख्या 302 की आराजी नं. 183, 184, 185, 192, 199/924, 506, 507, 512, 758 कुल किता 9 कुल रकबा 8.0400 हैक्टेयर भूमि स्थित है। वादी का पारिवारिक सजरा निम्नानुसार हैः-

डमरलाल (फोत)
↓
सोहनलाल
↓
ओमप्रकाश | कैलाश | मुन्ना बाई
↓ (ओमप्रकाश)
गीता | दिनेश | डिम्पल | अन्नु

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

47

Scanned by CamScanner

इस प्रकार डमरलाल जी मूल पुरूष थे। डमरलाल के पुत्र सोहनलाल हुआ, सोहनलाल के दो पुत्र ओम प्रकाश व कैलाश हुव एवं एक पुत्री मुन्ना बाई है। तथा ओमप्रकाश का देहान्त हो गया है जिसके विधिक वारिसान उसकी बेवा गीता, पुत्र दिनेश व पुत्री डिम्पल है। प्रश्नगत आराजीयात डमरलाल जी के जमाने से चली आ रही है जिसमें वादी का प्रतिवादी संख्या 1 के यहां जन्म होने से बाय बर्थ हिन्दु उत्तराधिकारी अधिनियम में वादी का हक अधिकार निहित हुआ तथा उसी अनुसार प्रतिवादी संख्या 1 के हक हिस्से में वादी का 1/4, प्रतिवादी संख्या 1 का 1/4, प्रतिवादी संख्या 2 का 1/4 तथा प्रतिवादी संख्या 3 से 5 का संयुक्त रूप से 1/4 हक हिस्सा हुआ व इसी अनुसार वादी व प्रतिवादी संख्या 1 से 5 अपने अपने हक हिस्से अनुसार काबिज होकर उपयोग उपभोग करते चले आ रहे हैं। वादी ने प्रतिवादीगण से उक्तानुसार खाते में नाम दर्ज कराने हेतु कहा तो प्रतिवादीगण इन्कार हो गये इसलिए मजबुरन वादी को यह दावा घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा का प्रस्तुत करना पड़ रहा है। अतः वाद प्रस्तुत कर निवेदन है कि विवादित भूमि में वादी का 1/4, प्रतिवादी संख्या 1 का 1/4, प्रतिवादी संख्या 2 का 1/4 तथा प्रतिवादी संख्या 3 से 6 का संयुक्त रूप से 1/4 हक हिस्सा घोषित फरमाया जावे। प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण मय अधिवक्ता उपस्थित हुए तथा राजीनामा प्रस्तुत कर वादी का दावा राजीनामें अनुसार डिक्री किये जाने का निवेदन किया है। राजीनामा बाद तस्दीक शामिल किया गया।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। दस्तावेजी साक्ष्य में वादी ने नकल जमाबन्दी संवत 2073-76 ग्राम भावलिया की खाता संख्या 302 की प्रमाणित प्रति, मिलान क्षेत्रफल ग्राम भावलिया तथा नकल जमाबन्दी संवत 2030-33 की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत की है। वर्तमान नकल जमाबन्दी में विवादित भूमि सोहनलाल पिता डमरलाल ब्राह्मण के नाम दर्ज रेकार्ड है जो प्रतिवादी संख्या 1 है। वादी व प्रतिवादी संख्या 2 सोहनलाल की संतान हैं तथा प्रतिवादी संख्या 3 से 6 सोहनलाल के मृत पुत्र ओमप्रकाश के वारिस हैं। नकल जमाबन्दी संवत 2030-33 में उक्त भूमि डमरलाल पिता खेमराज ब्राह्मण के नाम दर्ज रेकार्ड थी जिसकी ताईद मिलान क्षेत्रफल से भी होती है। इस प्रकार विवादित भूमि पुश्तैनी होकर वादी व प्रतिवादी संख्या 2 से 6 का जन्म से हित निहित है। हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम, 1955 के प्रावधानों के अनुसार प्रतिवादी संख्या 1 के घर में जन्म लेते ही वादी व प्रतिवादी संख्या 2 से 6 का उक्त भूमि में हक हिस्सा निहित हो चुका है। प्रतिवादीगण ने भी स्वयं उपस्थित होकर राजीनामा प्रस्तुत किया है तथा राजीनामें अनुसार वादी के कथनों को स्वीकार करते हुए वादी का 1/4, प्रतिवादी संख्या 1 का 1/4, प्रतिवादी संख्या 2 का 1/4 तथा प्रतिवादी संख्या 3 से 6 का संयुक्त रूप से 1/4 हक हिस्सा होना स्वीकार

उपखण्ड अधिकारी

सत्यमेव जयते
Web Copy Not Official
Scanned by CamScanner

करते हुए इसी अनुसार वाद डिक्री किये जाने का निवेदन किया है। पुश्तैनी भूमि होने व पक्षकारान के मध्य राजीनामा हो जाने से वाद का निस्तारण राजीनामें अनुसार किया जाना न्यायोचित है।

अतः वाद वादी कतई डिक्री किया जाता है। विवादित भूमि वाके मौजा भावलिया की खाता संख्या 302 की आराजी नं. 183, 184, 185, 192, 199/924, 506, 507, 512, 758 कुल किता 9 कुल रकबा 8.0400 हैक्टेयर में वादी का 1/4, प्रतिवादी संख्या 1 का 1/4, प्रतिवादी संख्या 2 का 1/4 तथा प्रतिवादी संख्या 3 से 6 का संयुक्त रूप से 1/4 हक हिस्सा घोषित किया जाता है। इसी अनुसार राजस्व रेकार्ड में दर्ज किया जावे। प्रकरण फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

आज दिनांक 25.11.2019 को सरे इजलास सुनाया जाकर कम्प्युटराईज कराया गया।

25/11/19

(पंकज शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी
निम्बाहेड़ा

उपखण्ड अधिकारी
निम्बाहेड़ा (राज.)

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

Scanned by CamScanner

गूल वाद में अन्तिम डिक्री

न्यायालय उपखण्ड़ अधिकारी निम्बाहेड़ा

पीठासीन अधिकारीः– पंकज शर्मा, RAS

प्रकरण सं. 174/2019 वाद

कैलाश पिता सोहनलाल ब्राह्मण, आयु वयस्क, निवासी भावलिया, तहसील निम्बाहेड़ा जिला चित्तौडगढ़।

– वादीगण

//बनाम//

1. सोहनलाल पिता डमरलाल ब्राह्मण, आयु वयस्क, निवासी भावलिया।
2. मुन्ना बाई पिता सोहनलाल ब्राह्मण, आयु वयस्क, निवासी भावलिया।
3. गीता बेवा ओम प्रकाश ब्राह्मण, आयु वयस्क, निवासी भावलिया।
4. दिनेश पिता ओमप्रकाश ब्राह्मण, आयु वयस्क, निवासी भावलिया।
5. डिम्पल पिता ओमप्रकाश ब्राह्मण, आयु वयस्क, निवासी भावलिया।
6. अन्नु पिता ओमप्रकाश ब्राह्मण, आयु वयस्क, निवासी भावलिया।
7. उप पंजीयक, निम्बाहेड़ा जिला चित्तौडगढ़।
8. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, निम्बाहेड़ा।

– प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, 188, 209 रा0का0अधि0

इस वाद में वादी की ओर से अधिवक्ता श्री जगदीश मेनारिया तथा प्रतिवादीगण की ओर से अधिवक्ता श्री योगेन्द्र सोलंकी की उपस्थिति में आज दिनांक को पत्रावली प्रस्तुत होने पर निर्णय दिया जाता है कि वाद वादी कतई डिक्री किया जाता है। विवादित भूमि वाके मौजा भावलिया की खाता संख्या 302 की आराजी नं. 183, 184, 185, 192, 199/924, 506, 507, 512, 758 कुल किता 9 कुल रकबा 8.0400 हैक्टेयर में वादी का 1/4, प्रतिवादी संख्या 1 का 1/4, प्रतिवादी संख्या 2 का 1/4 तथा प्रतिवादी संख्या 3 से 6 का संयुक्त रूप से 1/4 हक हिस्सा घोषित किया जाता है। इसी अनुसार राजस्व रेकार्ड में दर्ज किया जावे।

आज दिनांक 25.11.2019 को हमारे हस्ताक्षर एवं न्यायालय मुद्रा सहित जारी किया गया।

25/11/19

(पंकज शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी
निम्बाहेड़ा

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Sharma
Date: 2020.03.14 15:29:05 IST
Reason: SelfAttested
Location: